सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

मंत्रिपरिषद् के निर्णय

संख्या– 440

12/06/2018

पटना–12 जून, 2018 ::– आज संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव, श्री अरूण कुमार सिंह ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने 20 एजेंडों पर मुहर लगाई हैं। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के तहत रेल जिला मुजफ्फरपुर अन्तर्गत रेल पी०पी० हाजीपुर को उत्क्रमित कर रेल थाना का सृजन एवं उसके संचालन हेतु अतिरिक्त 43 (तैंतालीस) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु विधि विभाग के अन्तर्गत महाधिवक्ता के कार्यालय में नोडल पदाधिकारी के रूप में बिहार सचिवालय सेवा के 2 (दो) प्रशाखा पदाधिकारी का पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एम०सी०आई०) के मापदण्ड के अनुरूप राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा एवं वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी (नालन्दा) में प्राचार्य कार्यालय हेतु प्रति चिकित्सा महाविद्यालय 18 (अठ्ठारह), अर्थात कुल 54 (चौवन), पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत राज्य में लागू नयी उत्पाद नीति–2015 के आलोक में 'बिहार उत्पाद सेवा' का नामकरण 'बिहार मद्य निषेध सेवा' एवं 'बिहार उत्पाद अराजपत्रित संवर्ग' का नामकरण 'बिहार मद्य निषेध अवर सेवा' करने तथा राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में उक्त सेवा के पदों का पुनर्गठन के स्वीकृति तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) बिहार स्टाम्प (ई–चालान से जमा गैर न्यायिक स्टाम्प की राशि की वापसी) नियमावली, 2018 के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों/ सरकारी मदरसों में शैक्षणिक सुधार हेतु मूलभूत सुविधाएं एवं आधारभूत संरचना उपलब्ध कराये जाने से संबंधित राज्य संपोषित 'बिहार राज्य मदरसा शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना' एवं इससे संबंधित मार्गनिर्देशिका की स्वीकृति प्रदान की गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत किशनगंज जिलान्तर्गत एस०एस०बी० कैम्प 12वीं बटालियन, डुबाटोली में बी०ओ०पी० निर्माण हेतु दिघलबैंक अंचल अन्तर्गत मौजा–दिघलबैंक, थाना नं०– 308, खाता नं०–187, खेसरा सं०–263, रकबा–2.32 एकड़, शिक्षा विभाग की भूमि 15,000/–(पन्द्रह हजार) रू० प्रति डिसमिल की दर से 34,80,000/– (चौंतीस लाख अस्सी हजार) रू० सलामी तथा सलामी के 2 प्रतिशत का 25 गुणा पूँजीकृत मूल्य अर्थात 17,40,000/–(सतरह लाख चालीस हजार) रू० सहित कुल–52,20,000/–(बावन लाख बीस हजार) रू० के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण तथा सुपौल जिलान्तर्गत वसंतपुर अंचल के मौजा–भीमनगर (कटैया), थाना सं०–01 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०– 1118(6)/रा०, दि०– 05.11.2009 के द्वारा एस०एस०बी० को हस्तान्तरित जल संसाधन विभाग की 1.25 एकड़ भूमि (खाता नं०–339, खेसरा सं०–327) के बदले मौजा–भीमनगर, थाना सं०–01 में अवस्थित जल संसाधन विभाग की 1.2 एकड़ भूमि (खाता सं० क्रमशः–88, 47, 106, 95, 65, खेसरा सं० क्रमशः– 30, 31, 32, 33, 40 में रकबा क्रमशः– 0.02 डि०, 0.54 डि०, 0.52 डि०, 0.12 डि०, 0.05 डि०, कुल रकबा–1.25 एकड़ भूमि) बदलेन के आधार पर हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुहाने नदी बहुद्देशीय मध्यम सिंचाई योजना, प्राक्कलित राशि रूपये 14380.00 लाख

(चौदह हजार तीन सौ अस्सी लाख रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति तथा तियरा पम्प हाउस का निर्माण एवं इसके वितरण प्रणाली का जीर्णोद्धार कार्य, प्राक्कलित राशि 5653.00 लाख रूपये (पाँच हजार छः सौ तिरपन लाख रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति एवं

बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर योजना फेज–II, प्राक्कलित राशि–17618.00 लाख रूपये (सतरह हजार छः सौ अठारह लाख रूपये) की प्रशासनिक तथा व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उच्च शिक्षा निदेशालय अन्तर्गत संचालित बांग्ला अकादमी, पटना में कार्यरत कर्मियों को अन्य अकादमियों की भाँति पंचम वेतन पुनरीक्षण के समतुल्य वेतनानुदान तात्कालिक प्रभाव से स्वीकृति दी गई है तथा बिहार राज्यान्तर्गत कटिहार में निजी क्षेत्र में अल–करीम विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन की अनुमति प्रदान करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। वित्त विभाग के तहत श्री मदन मोहन प्रसाद, से०नि० विशेष सचिव, वित्त विभाग के निदेशक (अन्वेषण), सांस्थिक वित्त के पद पर संविदा आधारित नियोजन की अवधि विस्तारित करने हेतु उम्र की निर्धारित अधिकतम अधिसीमा (अधिकतम 67 वर्ष) को क्षांत करते हुए दिनांक–04.07.2018 के उपरांत अगले एक वर्ष के लिए संविदा पर अवधि विस्तारित करने की स्वीकृति तथा अकार्यरत लोक उपक्रमों के कर्मियों के बकाये वेतनादि की देयता का भुगतान की स्वीकृति एवं स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों के प्रत्यायोजन की स्वीकृति प्रदान की गई। सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम–4, 2011) के तहत निर्गत अधिसूचना संख्या–1423 दिनांक–19.05.2011 (समय समय पर यथा संशोधित) तथा अधिसूचना संख्या–19431 दिनांक–23.12.2013 द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट–1 के क्रमांक–25 एवं 26 में श्रम संसाधन विभाग के अधीन दो नई सेवाओं यथा (i) बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में अनुदान) (ii) बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (पूर्ण स्थायी अपंगता एवं स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में अनुदान) को समावेशित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत रेल जिला मुजफ्फरपुर अन्तर्गत रेल पी०पी० सीतामढ़ी को रेल थाना में उत्क्रमित करने एवं उसके संचालन हेतु अतिरिक्त 38 (अड़तीस) पदों के सृजन की स्वीकृति तथा विशेष महिला प्रशिक्षण केन्द्र में केन्द्रवार बुनियादी सुविधाओं के निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण के लिए कुल चार स्थानों यथा–बी०एम०पी०–2 डेहरी, बी०एम०पी०–6 मुजफ्फरपुर, बी०एम०पी०–5, पटना एवं महिला बटालियन सासाराम में निर्माण कार्य हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹5331.616 लाख (तिरेपन करोड़ इक्कतीस लाख एकसठ हजार छः सौ रू०) मात्र की नयी स्कीम के प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू एवं अनुवर्ती वर्षों में करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

उन्होंने बताया कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अन्तर्गत 324 पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर नियोजित पशु चिकित्सकों की नियोजन अवधि का विस्तार आदेश निर्गत की तिथि से एक और वर्ष के लिए अथवा उक्त पद पर पशु चिकित्सकों के नियमित नियुक्ति होने तक, जो पहले हो, तक के लिए विस्तार के संबंध में भी आज के मंत्रिपरिषद की बैठक की निर्णय लिया गया है।

————————————————